

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

दिनांक: 19 जून, 2021

विषय:-गृह(गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-729/2021-सीएक्स-3, दिनांक 30.05.2021 के क्रम में कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,


गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-729/2021-सीएक्स-3, दिनांक 30.05.2021 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निर्गत आदेश संख्या-998/2021-सी0एक्स0-3 दिनांक 08.06.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों को कोरोना कर्फ्यू से छूट प्रदान की जा चुकी है।

2. उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश 30.05.2021 को संशोधित करते हुए दिनांक 21 जून 2021 की प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ निम्नवत् गतिविधियां अनुमन्य की जाती हैं। इस अनिवार्य शर्त का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

1. प्रदेश में दुकान/बाजार उपरोक्तानुसार प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाए।
2. सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
3. निजी कम्पनियों के कार्यालयों में भी उक्त शर्त की अनिवार्यता होगी। निजी कम्पनियों वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी तथा प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
4. रेस्टोरेन्ट, होटल के अन्दर स्थित रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस् प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस् के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हैल्पडेस्क स्थापित की जाएगी तथा ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं

15. पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भीड़ एकत्रित न होने पाए तथा उपरोक्त शर्तों की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू की जाए। कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीड़भाड़ अथवा जुलूस होना हो वो अग्रिम आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे। ट्रैफिक संचालन की सुचारु रूप से व्यवस्था की जाए ताकि कहीं जाम लगने की स्थिति उत्पन्न न हो।
16. कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एंट्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाए। जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाए कि सभी नागरिक कोरोना गाइड लाइन्स का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें।
17. जिला स्तर पर जिलाधिकारी प्रत्येक दिवस इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर (ICCC) पर नये कोरोना केस के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग के साथ समीक्षा करेंगे जिससे प्रत्येक जनपद की गहन समीक्षा हो सके एवं कोरोना महामारी को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। इसके अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक डायल-112 के वाहनों के द्वारा मुख्य स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन की स्थिति तथा कन्टेनमेन्ट जोन की सतत निगरानी कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
18. जिन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस कुल 500 से अधिक हो जाएंगे तो सम्बन्धित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी, जिसके लिए आदेश यथासमय जारी किये जाएंगे।


उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

  
 ( राजेन्द्र कुमार तिवारी )  
 मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
- (4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
 ( अवनीश कुमार अवस्थी )  
 अपर मुख्य सचिव